न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 12/2020 अपील/बांसवाडा
पंजीयन दिनांक– 13.02.2020
निर्णय दिनांक– 13.08.2020

1. श्री नानुलाल पिता जोखा भील, निवासी भतार, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाडा (राज.)
2. श्री पुनमचन्द पिता श्री भूराजी भील, निवासी भतार, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाडा (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, बांसवाडा (राज.)
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद,बांसवाडा (राज.)
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति अरथुना, जिला बांसवाडा (राज.)
4. सरपंच, ग्राम पंचायत भतार, पंचायत समिति अरथुना, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाडा (राज.)

.....रेस्पोडेन्ट्स

अधिवक्ता :
श्री श्री महेश भट्ट : अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री जयप्रकाश पुर्बिया : अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट (रेस्पोडेंट संख्या–4)
राजकीय अभिभाषक : रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट–1956
विरूद्ध जिला कलक्टर, बांसवाडा के आदेश क्रमांक
एफ 2 (17) राज./2017/666–672 दिनांक 23.02.2017

निर्णय

दिनांक–13.08.2020

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध जिला कलक्टर, बांसवाडा के आदेश क्रमांकएफ 2 (17) राज./2017/666–672 दिनांक 23.02.2017 के

विरूद्ध दिनांक 31.08.2018 को मय प्रा0पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर, कैम्प बांसवाडा को पेश की गई है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के क्रम में पत्रावली स्थानान्तरित होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त में दिनांक 15.01.2020 को दर्ज की गई। जिला बांसवाडा से संबंधित क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को होने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानान्तरित होकर दिनांक 13.02.2020 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि जिला कलक्टर, बांसवाडा के आदेश क्रमांक एफ 2 (17) राज./2017/666–672 दिनांक 23.02.2017 से ग्राम भतार के सर्वे नम्बर 3656 रकबा 0.24 हैक्टेयर भूमि पर जिस जगह अटल सेवा केन्द्र हेतु भूमि का आवंटन किया गया है वह भूमि तालाब के पेटे की भूमि होने की वजह से बरसात के दिनों में पानी भरा रहता है। उक्त भूमि में गांव के लोगो के मकानात एवं खेत होकर वर्षो से काबिज होकर खेती कर रहे है। गांव के अन्य निवासी की कृषि भूमि सर्वे नम्बर 903, 904, 905, 910, 911, 912, 929 एवं 3950/910 कुल रकबा 0.71 हेक्टेयर जमीन है, जिसे ग्रामवासी उक्त भवन के निर्माण के लिये सरेण्डर करने को एवं निःशुल्क देने को तैयार है। तहसीलदार गढ़ी एवं उपखण्ड अधिकारी, गढी की गलत रिपोर्ट के आधार पर जिला कलक्टर, बांसवाडा द्वारा किये गये विधि विरूद्ध भूमि आवंटन किये जाने से अप्रसन्न होकर ग्रामवासी गांव भतार के ग्रामसभा के प्रतिनिधि की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील अपीलांट स्वीकार किया जाने का निवेदन किया है।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री महेश भट्ट उपस्थित व रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक एंव रेस्पोडेंट संख्या–4 की ओर से अधिवक्ता श्री जयप्रकाश पुर्बिया उपस्थित हुए। उभय पक्ष अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 06.08.2020 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि जिला कलक्टर, बांसवाडा का सर्वे नम्बर 3656 रकबा 0.24 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम भतार का आवंटन राजस्थान भू–राजस्व (स्कूल, कॉलेज, चिकित्सालय, धर्मशाला व अन्य सार्वजनिक भवनों के लिए भूमि आवंटन) नियम 1963 की अवहेलना करते हुए भूमि का आवंटन किया गया है, जो विधि विरूद्ध होकर काबिल खारीज है। तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी द्वारा अपनी अनुशंषा में यह उल्लिखित किया है कि भूमि मौके पर पडत है तथा किसी प्रकार का कोई विवाद नही है। इस प्रकार रिकॉर्ड को देखे बिना ही अपनी अनुशंषा कर दी है, जबकि गांव का प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि भूमि तालाब पेटे में है एवं बरसात के दिनों में पानी भरा रहता हे ऐसी भूमि पर भवन का निर्माण करना कदापि न्यायोचित नहीं है। इन सब तथ्यों को दरकिनार कर तथ्यों को छिपाते हुए झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। ग्राम पंचायत की कोई आपत्ति नहीं होने का कथन भी मिथ्या किया गया है, क्योंकि आवंटन से पूर्व ग्राम पंचायत का कोई अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं किया गया और वैसे भी बांसवाडा अनुसूचित क्षेत्र में आता है जहां पर पंचायती राज, एक्सटेंशन टू शिड्यूल एक्ट (संक्षेप में जिसे पेसा) के नाम से जाना जाता है, के प्रावधान लागू है, जंहा पर ग्राम सभा की सहमति के बिना गांव की जमीन का हस्तांतरण नही किया जा सकता। रेस्पोडेंट असुविधाजनक स्थान पर पंचायत का प्रस्ताव बनाने का प्रयास कर रहे है तथा उक्त स्थान पर भवन का निर्माण हो गया तो अपीलांट एवं गांव के सभी लोगो के लिये दोषपूर्ण कृत्य एवं जीवन पर्यन्त लोककंठक उत्पन्न हो जायेगा। पटवारी नाहली ने भूमि आवंटन बाबत चैक लिस्ट में गलत तथ्य अंकित किये है तथा सभी बिन्दुओं का समावेश नही किया है। चैक लिस्ट की बिन्दु संख्या 10, 11, 17, 19 एवं 26 का विवरण गलत लिखा गया है। तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारी ने अपनी अनुशंषा में यह मिथ्या अभिकथन किया है कि आवंटित भूमि के संबंध में किसी को आपत्ति नहीं है। वस्तुतः गांव के निवासियों ने अपने खातेदारी की भूमि सर्वे नम्बर 903, 904, 905, 910, 911, 912, 929 एवं 3950/910 कुल रकबा 0.71 हेक्टेयर ग्राम पंचायत भतार के अटल सेवा केन्द्र हेतु सरेण्डर की है। उक्त भूमि गांव के अन्य सरकारी भवनों एवं मुख्य सडक पर स्थित है। जिला कलक्टर द्वारा बिना जांच कराये आवंटन आदेश पारित किये है। भूमि में कब्जे बाबत विवाद है। आवंटन आदेश नियम

1963 के प्रावधानों के विपरीत होकर काबिल खारीज है। अपील अपीलांट स्वीकार करने एवं जिला कलक्टर, बांसवाडा के आदेश क्रमांक एफ 2 (17) राज./2017/666–672 दिनांक 23.02.2017 के द्वारा ग्राम पंचायत भतार के अटल सेवा केन्द्र हेतु सर्वे नम्बर 3656 रकबा 0.24 भूमि वाके ग्राम भतार, तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा को अपास्त कराने तथा भूमि का पुनः स्वरूप कायम कराने एवं अटल सेवा केन्द्र हेतु अपील में वर्णित खातेदारों द्वारा सरेण्डर की गई भूमि को आवंटित कराने हेतु निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स ने अपनी बहस में बताया कि बताया कि तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी की अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू–राजस्व (स्कूल, कॉलेज, चिकित्सालय, धर्मशाला एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के लिये भूमि आवंटन) नियम 1963 के नियम 3 (2) के तहत ग्राम पंचायत भतार के अटल सेवा केन्द्र हेतु भवन की स्थापना हेतु विकास अधिकारी पंचायत समिति अरथूना को 99 वर्ष पर की लीज पर आवंटन किया गया है जो उपयुक्त एवं नियमानुसार है। उपरोक्त आवंटन में रिपोर्ट पटवारी, तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारी अनुसार ग्राम भतार के खसरा नम्बर 3656 रकबा 1.06 किस्म मगरी श्री सरकार का. का. दर्ज रिकार्ड है, ग्राम पंचायत भतार द्वारा खसरा नम्बर 3656 रकबा 1.06 हैक्टेयर में से 0.48 हैक्टेयर भूमि की मांब की है। मौके क अनुसार 0.24 हैक्टेयर भूमि ग्राम पंचायत के नाम आवंटन कराना उपयुक्त है। उपरोक्त प्रस्तावित भूमि मौके पर पडत होकर किसी का कब्जा नही होना बातया गया है। अतः आवंटन नियमानुसार होने से अपील अपीलांट अस्वीकार किया जाने का निवेदन है।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में हम सर्वप्रथम मियाद आवेदन पर निर्णय करना उचित समझते है। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन ग्राम पंचायत भतार हेतु आवंटन आदेश दिनांक 23.02.2017 को जारी किया है, तथा अपील प्रथम अपीलीय न्यायालय में दिनांक 31.08.2018 को पेश की गई है। अपीलांट द्वारा दिये गये दफा 05 जाफ्ता मयाद एवं अखण्डित शपथ पत्र तथा अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पूर्व जानकारी होना प्रमाणित नही होने से अपील में मयाद कण्डोन की जाती है। प्रकरण में अपीलांट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ किये गये ग्राम पंचायत

भतार के आवंटन के विरूद्ध पेश की है। विधि का सुव्यक्त प्रावधान है कि जब कोई पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नही हो तो उसे दफा 96 जा. दी. के तहत अधीनस्थ न्यायालय से पूर्व अनुमति प्राप्त करने का आवेदन पेश कर अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्राप्त करनी चाहिए। अपीलांट द्वारा पेशशुदा अपील के साथ इस प्रकार का अपील प्रस्तुत किए जाने के लिए दफा 96 जा. दी. का कोई आवेदन ही पेश नही किया गया है, जो प्रथमतया विधि के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत होने से एवं आज्ञपक प्रावधानों की पालना नही किए जाने से अपील अपीलांट विधिक रूप से पोषणीय नही होने के कारण खारीज की जाती है।

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

एल0एन0मंत्री
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर